

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

गज० 419] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 18, 1972/भाद्र 27, 1894

No. 419] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 18, 1972/BHADRA 27, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह ग्रन्थ संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 18th September 1972

S.O. 608(E)/18A/IDRA/72.—Whereas the Central Government is of opinion that the Indian Rubber Manufacturers Limited, Calcutta, an industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), (hereinafter referred to as the said Act), is being managed in a manner highly detrimental to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18A of the said Act, the Central Government hereby authorises the body of persons (in this Order referred to as the Board of Management) comprising of,—

Chairman

1. Shri A. Bose, Special Officer and Ex-Officio Secretary, Department of Closed and Sick Industries, Government of West Bengal, Calcutta.

Members

2. Shri R. P. Chatterjee, Nominee of the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta.
3. Shri B. B. Dutta, Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta.

to take over the management of the whole of the said undertaking, namely, Indian Rubber Manufacturers Limited, Calcutta, subject to the following terms and conditions namely:—

- (i) the Board of Management shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;
- (ii) the Board of Management shall hold office for five years from the date of publication of this Order in the Official Gazette; and
- (iii) the Central Government may terminate the appointment of any of the persons comprising the Board of Management earlier if it considers necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. F.25(5)/72-CUC.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

श्रीद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1972

का०आ० 608(अ)/18ए/आई०डी०आर०ए०/72.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इंडियन रबर मैनुफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता, श्रीद्योगिक उपक्रम, जिसका प्रबन्ध इस रीति से किया जा रहा है जो लोक हित में अति अहितकर है, की बाबत उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) (जिसे इस में इस के पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 15 के अधीन अन्वेषण किया जा चुका है)

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 18क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों के निकाय (जिसे इस आदेश में प्रबन्ध-बोर्ड कहा गया है) :—

- | | |
|--|---------|
| 1. श्री ए० बोस | अध्यक्ष |
| विशेष अधिकारी और पदेन सचिव | |
| बन्द तथा अव्यवस्थित उद्योग, | |
| पश्चिम बंगाल सरकार, | |
| कलकत्ता । | |
| 2. श्री आर पी० चटर्जी, | सदस्य |
| भारत का श्रीद्योगिक पुनर्गठन निगम | |
| लिमिटेड के नाम निर्देशिनी, कलकत्ता । | |
| 3. श्री बी० बी० दत्ता, | सदस्य |
| भारत का श्रीद्योगिक पुनर्गठन निगम लिमिटेड, | |
| कलकत्ता । | |

को उक्त उपक्रम, अर्थात् रबर मैनुफैक्चरर्स के पूर्ण प्रबन्ध को अपने हाथ में ले लेने के लिए निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

- (i) प्रबन्धबोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए अनुदेशों का पालन करेगा;

- (ii) प्रबंध बोर्ड राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष के लिए पदासीन रहेगा;
- (iii) केन्द्रीय सरकार, प्रबंध बोर्ड में के किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति को, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो पहले समाप्त कर सकती है ।
2. यह आदेश इस के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा ।

[सं० फा० 25/5/72-सी० यू० सी०]

के० एस० भटनागर
संयुक्त सचिव ।

